



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-4294-औ०सं०/पाकालि/2019-11(1)ए०एस०/09 (18)

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मैक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं०-4ए, सेक्टर-इन्स्टीट्यूशनल ग्रीन, ग्रेटर नोयडा, जिसे कारपोरेशन के आदेश संख्या-2573-औ०सं०/पाकालि/2016-11(5)ए०एस०/11 दिनांक 27.06.2016 द्वारा कारपोरेशन के कार्मिकों हेतु अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की गयी थी एवं आदेश संख्या-99-औ०सं०/2019-11(1)ए०एस०/09(18) दिनांक 16.01.2019 द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक पुनः मान्यता बढ़ायी गयी है, एवं आदेश संख्या-1465-औ०सं०/2019-11(4) एफ०/86(वे-111) टी०सी०/2019 दिनांक 29.05.2019 द्वारा वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराये जाने हेतु दी गयी मान्यता दिनांक 31.12.2019 के उपरान्त हॉस्पिटल प्रशासन से प्राप्त पत्र दिनांक 09.10.2019 द्वारा प्रश्नगत मान्यता समाप्त किये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2020 से उक्त मान्यता एतद्वारा समाप्त की जाती है।

उक्त चिकित्सालय में गैरमान्य चिकित्सालय के रूप में कारपोरेशन के आदेश सं०-195-औ०सं०/2014 दिनांक 25.01.2014 सपठित आदेश संख्या-3330-औसं/2018 दिनांक 08.08.2018 के बिन्दु सं०-2 की अनुरूपता में चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-4294-(1) औ०सं०/पाकालि/2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध)/(आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org.medical पर अपलोड करने हेतु।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. प्रबन्धक, मैक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं०-4ए, सेक्टर-इन्स्टीट्यूशनल ग्रीन, ग्रेटर नोयडा।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।

Nat Mathur
2012/19
(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी